पूर्व मध्य रेल

परिचालन बुलेटिन सं 03/2026

OPERATING BULLETIN NO. 03/2026

साइक्लोन तूफान, भूकम्प या आशंकित खतरे की स्थिति में सामान्य एवं सहायक नियम 4.35(4) के अनुसार कारवाई किया जाना चाहिए। सहायक नियम 4.35 (4) को नीचे पुनः उद्धृत किया जा रहा है

साइक्लोन तूफान, भूकम्प या आशंकित खतरे की स्थिति में गाड़ी का प्रस्थान :-

(i) जब स्टेशन मास्टर को साइक्लोन तूफान, भूकम्प या किसी अन्य असुरक्षित स्थिति की आशंका हो तो वे, यदि आवश्यक समझते हों तो लोको पायलट एवं गार्ड से विचार विमर्श कर जब तक कि आशंकित खतरा टल नहीं जाता है या समाप्त नहीं हो जाता है, गाड़ियों को रोकने हेतु अधिकृत हैं। जब इस कारण गाड़ियां रोकी जाती हैं तो स्टेशन मास्टर द्वारा कंट्रोल को, आवश्यकतानुसार आगे की सूचना हेतु, सूचित करते हुए स्टेशन डायरी एवं ट्रेन सिगनल रजिस्टर में इसे लाल स्याही से दर्ज करना चाहिये।

(ii) स्टेशन पर, ऊपर (i) में वर्णित यात्रियों / गाड़ियों की संरक्षा पर आशंकित खतरा पैदा करने वाली स्थिति में स्टेशन मास्टर आने वाली गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर देने से इंकार कर सकते हैं।

(iii) स्टेशन मास्टर लोको पायलट एवं गार्ड से विचार विमर्श कर यात्री वाहक गाड़ी/मिकस्ड गाड़ी को रोके रह सकते हैं यदि तर्कसंगत आशंका हो कि भयंकर तूफान यां भूकम्प या बड़ी असामान्य स्थिति होने वाली है जो गाड़ी/ यात्रियों के सुरक्षा के लिये खतरा पैदा कर सकती है।

(iv) साइक्लोन तूफान आने की स्थिति में, सवारी डिब्बो के खिड़कियां एवं दरवाज़े खुले रखे जाएं, यदि पहले से खुले न हो, ताकि तेज़ हवा का झोंका सवारी डिब्बा के आर-पार बिना रोक-टोक पार कर सके। यात्रियों के सहयोग से ट्रेन का गार्ड एवं लोको पायलट अवश्य सुनिश्चित करे कि गाड़ी के खिड़कियां एवं दरवाज़े निश्चित तौर पर खुले रहें।

(v) ऐसे में, गाड़ी को चलाने की अनुमति अवश्य ही तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि गाड़ी के लोको पायलट एवं गार्ड विचार-विमर्श कर गाड़ी का आगे बढ़ना सुरक्षित न समझते हों। यदि आवश्यक हो तो सम्बंधित प्राधिकारी से आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है।

(vi) उपरोक्त अनुदेशों के बावजूद यदि कोई गाड़ी चलते समय भयंकर तूफान या भूकम्प या अन्य बड़ी असामान्य स्थिति आदि, जो गाड़ी के लोको पायलट एवं गार्ड के विचार में ट्रेन या यात्रियो की संरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली हो तो गाड़ी को तुरंत रोक दिया जायेगा यह ध्यान रखते हुए कि ऐसा ठहराव तीखा मोड, उंचा बांध, कटिंग एवं पुल जैसे स्थानों पर नहीं हो। वह स्थल जहाँ गाड़ी रोकी गई हो, ऊपर के पैरा (iv) में उल्लिखित तरीका से दरवाज़े एवं खिड़कियां खुले रखे जाएं।

(vii) उपरोक्त की स्थिति में, दुबारा गाड़ी तभी खुलाई जानी चाहिये जब यह आश्वस्त कर लिया गया है कि गाड़ी के साथ-साथ यात्रियो के लिये भी अब आगे बढ़ना सुरक्षित है एवं प्रस्थान करने से पहले लोको पायलट गार्ड से सम्पर्क करेगा और उसका अनुमति प्राप्त करेगा।

"मंडलों को सलाह दी जाती है की सर्व-संबंधित को तत्काल वितरित कर गाड़ियों के संरक्षित परिचालन हेतु सभी कर्मचारियों को काउन्सलिंग कर सजग करें।"

MANOJ KUMAR RANJAN
Digitally signed by MANOJ KUMAR RANJAN
Date: 2026.03.30 12:09:48 +05'30'

(मनोज कुमार रंजन)
उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (सा)
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर
दिनांक 30.03.2026

सं .ई.सी.आर/ .परि.सं/.ऑपरेटिंग बुलेटिन /87 /505,

प्रतिलिपि-

(1) प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ।

(2) मंडल रेल प्रबंधक/ धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू., सोनपुरएवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ।

(3) वरि.मं.परि. प्रबंधक/ धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू.,सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।